**दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली**

**सुरक्षित तिथि: 12 नवंबर, 2013**
**निर्णय तिथि: 03 दिसंबर, 2013**

**आप.अ. 149/2000**

दीपक .....अपीलार्थी

द्वारा: श्री नितिन दहिया, अधिवक्ता

बनाम

राज्य ....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री एम.एन.डुडेजा, अति.लो.अभि.

**कोरमः**
**माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.पी.गर्ग**

**न्या. एस.पी.गर्ग**

1. दीपक ने सत्र मामला सं. 10/98 में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के दिनांक 25.01.2000 के निर्णय को चुनौती दी है, जो प्राथमिकी सं. 95/97 पुलिस थाना मॉडल टाउन से दर्ज हुआ था, जिसके तहत उसे भा.दं.सं. की धारा 307, 394 की सहपठित धारा 397 के तहत और दिनांक 27.01.2000 के आदेश द्वारा भा.दं.सं. की धारा 307 के तहत सात साल के कठोर कारावास और 10,000/- रुपए जुर्माना सहित दोषी ठहराया गया था; भा.दं.सं. की धारा 397 के तहत सात साल के कठोर कारावास और 10,000/- रुपए सहित जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। दोनों सजाएं एक साथ होनी थी।

2. आरोप-पत्र में अभियोजन पक्षकार द्वारा प्रस्तुत मामला यह था कि 28.01.1997 को प्रातः लगभग 08.15 बजे बी-412, लाल बाग, आकाश टेलर्स, जी.टी.के. रोड, दिल्ली में दीपक और उसके साथी पंकज ने साझा इरादे से मान सिंह को चाकू से घायल कर दिया तथा मदन लाल को चाकू घोंपकर उसके पास

से 800/- रुपए छीन लिए। पुलिस तंत्र तब हरकत में आया जब ड्यूटी कांस्टेबल रतन पाल से सूचना मिलने पर प्रातः 09.20 बजे थाना मॉडल टाउन में दैनिक डायरी (डी.डी.) सं. 5क दर्ज की गई जिसमें मान सिंह और मदन लाल को हिंदू राव अस्पताल में भर्ती होने की सूचना दी गई। जांच अधिकारी ने मदन लाल (प्र.अभि.सा.-1/क) का बयान दर्ज करने के पश्चात प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की। जांच के दौरान, दोषियों को खोजने के प्रयास व्यर्थ रहे। इसके बाद, दीपक को प्राथमिकी सं. 187/91, पुलिस थाना सुल्तानपुरी में गिरफ्तार किया गया और इस मामले में हिरासत में लिया गया (वह पहले घोषित अपराधी था)। पंकज को पकड़ा नहीं जा सका और उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका। जांच पूरी होने के बाद, दीपक पर विधिवत आरोप लगाया गया और उसे वाद में लाया गया। अभियोजन पक्षकार ने बारह साक्षीगण की जांच की और चिकित्सा साक्ष्य प्रस्तुत किए। 313 बयान में, अपीलार्थी ने झूठे आरोप लगाने का अनुरोध किया। पक्षकारगण के प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार करने और अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य की सराहना करने के बाद, विचारण न्यायालय ने, आक्षेपित निर्णय द्वारा, दीपक को दोषी ठहराया, जिससे वर्तमान अपील दायर करने का कारण बना।

3. मैंने पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना है तथा अभिलेख की जांच की है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने साक्ष्य को उसके सही तथा उचित परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा तथा अभि.सा.-1 (मदन लाल) की परिसाक्ष्य पर भरोसा करके गंभीर गलती की, जिसने प्रति परीक्षा में न्यायालय के बयान से पलटवार किया। अपीलार्थी पर भा.दं.सं. की धारा 392 के तहत आरोप नहीं लगाया गया तथा भा.दं.सं. की धारा 397 के तहत दोषसिद्धि अपराध के हथियार की बरामदगी न होने के अभाव में टिकने योग्य नहीं है। विद्वान अति. लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि दोनों पीड़ितों ने अभियोजन पक्षकार का पूर्ण समर्थन किया है तथा उनकी परिसाक्ष्य की पुष्टि चिकित्सा साक्ष्यों से हुई है।

4. मदन लाल और मान सिंह को बाबू लाल ने घटनास्थल से हिंदू राव अस्पताल पहुंचाया। मान सिंह के पिता अभि.सा.-3 (बाबू लाल) शोर सुनकर घटनास्थल पर पहुंचे और पाया कि मान सिंह और मदन लाल दोनों चाकू के

घाव के साथ वहां पड़े थे। जब उन्होंने उनसे पूछा कि उन्हें किसने चोटें पहुंचाईं, तो मान सिंह ने खुलासा किया कि दीपक और पंकज ने उन्हें चाकू से मारा था। इस दावे को प्रति परीक्षा में चुनौती नहीं दी गई। एमएलसी पूर्व अभि.सा.-6/क (मान सिंह के) और प्र. अभि.सा.-6/ख (मदन लाल के) ने मरीजों के पहुंचने का समय क्रमशः सुबह 08.55 बजे और सुबह 09.00 बजे दर्ज किया। मदन लाल को साधारण चोटें आई थीं, जिन्हें बयान देने के लिए फिट घोषित किया गया। पहले उपलब्ध अवसर पर पुलिस को दिए गए अपने बयान में, उसने घटना का विस्तृत विवरण दिया और दीपक और पंकज दोनों को 800/- लूटने और चाकू से घायल करने के लिए दोषी ठहराया। चूंकि घटना सुबह 08.15 बजे होने के बाद दोपहर 01.30 बजे रुक्का भेजकर तत्परता से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी, इसलिए कम अंतराल में झूठी कहानी गढ़ने की संभावना कम थी। अभि.सा.-4 (मान सिंह) ने अदालती बयान में अभियोजन पक्षकार का पूर्ण समर्थन किया और घटना में दीपक की एक विशिष्ट और निश्चित भूमिका बताई। उसने परिसाक्ष्य दिया कि 28.01.1997 को लगभग 08.15 बजे वह शिकायतकर्ता मदन लाल की दुकान पर गया था, जहां वह पैसे गिन रहा था। इसी बीच, दीपक और पंकज वहां आ गए। दीपक ने मदन लाल से 800/- छीन लिए और विरोध करने पर उसे बायीं जांघ पर चाकू मार दिया। जब उसने मदन लाल को बचाने के लिए हस्तक्षेप किया, तो पंकज ने चाकू निकाल लिया और दीपक ने उसके बायें गाल पर चाकू मार दिया। घटना के बाद पंकज और दीपक मौके से भाग गए। प्रति परीक्षा में उसने बताया कि वह शिकायतकर्ता की दुकान पर काम करता था और अभियुक्त के साथ उसकी कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी। उसने इस बात से भी अनभिज्ञता जताई कि दीपक और मदन लाल के बीच पहले कोई पैसे का लेन-देन हुआ था या नहीं। अभियुक्त प्रति परीक्षा में कोई ऐसा विरोधाभास या विसंगति नहीं ला पाया जिससे घायल चश्मदीद द्वारा दिए गए बयान पर विश्वास न किया जा सके। झूठा बयान देने के पीछे कोई गुप्त उद्देश्य नहीं बताया गया। दिनांक 01.02.1999 को दर्ज मुख्य परीक्षा में अभि.सा.-1 (मदन लाल) ने पुलिस को दिए गए बयान (प्र.अभि.सा.-1/क) को बिना किसी बदलाव या सुधार के साबित कर दिया। उसने दीपक पर आरोप लगाया कि उसने उससे 800/- रुपए लूटे और चाकू से उसे और मान

सिंह को घायल भी किया। उस समय अपीलार्थी ने उससे प्रति परीक्षा करने का विकल्प नहीं चुना। जब 7 महीने बीत जाने के बाद दिनांक 16.09.1999 को उसे प्रति परीक्षा के लिए बुलाया गया तो उसने पलटी मार ली और घटना में दीपक की किसी भी भूमिका से इनकार कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि दिनांक 01.02.1999 को जांच के बाद शिकायतकर्ता को अपने पक्ष में कर लिया गया और वह पुलिस और न्यायालय में दिए गए बयानों से पूरी तरह मुकर गया। स्पष्ट रूप से, मदन लाल ने प्रति परीक्षा में सही तथ्य प्रस्तुत नहीं किए। दीपक घटना से पहले पिछले कई वर्षों से उन्हें जानता था और डकैती करने और उन्हें चोट पहुँचाने के लिए उसका नाम गलत तरीके से लेने का कोई अवसर नहीं था। उसने पूरी घटना का प्रत्यक्षदर्शी विवरण दिया था और उसके कहने पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। केवल इसलिए कि प्रति परीक्षा में साक्षी मुकर गया और उसने अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया, पिछली तारीख को शपथ पर दर्ज मुख्य परीक्षा में दिए गए बयान पर विश्वास नहीं किया जा सकता और उसे खारिज नहीं किया जा सकता। अब कानून यह स्थापित कर चुका है कि केवल साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर देने से उसके सारे साक्ष्य खारिज नहीं किए जा सकते। आप.अ.सं. 432/2010, 'नरेश कुमार बनाम राज्य' में दिनांक 04.09.2013 को निर्णय लिया गया, इस न्यायालय ने टिप्पणी की:

> *"18. 1991 आप.वि.पत्रि. 2653 (1), खुज्जी उर्फ सुरेन्द्र तिवारी बनाम मध्य प्रदेश राज्य इस मामले में प्रत्यक्ष प्राधिकारी है। उस मामले में भी, साक्षी की मुख्य परीक्षा 16.11.76 को दर्ज की गई थी, जब उसने सभी हमलावरों की नाम से पहचान की थी। उसकी प्रति परीक्षा 15.12.76 को शुरू हुई थी। उस प्रति परीक्षा में, उसने कहा कि चूंकि अभियुक्तगण की पीठ उसकी ओर थी, इसलिए वह उनके चेहरे नहीं देख सकता था। उस बयान के आधार पर, यह प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त की पहचान के बारे में साक्ष्य अत्यधिक संदिग्ध है और केवल ऐसे संदिग्ध साक्षी की पहचान के आधार पर अपीलार्थी को दोषी ठहराना खतरनाक होगा। माननीय उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा, जिसे*

*माननीय शीर्ष न्यायालय ने भी बरकरार रखा कि उसकी मुख्य परीक्षा की रिकॉर्डिंग के बाद से बीते एक महीने की अवधि के दौरान, कुछ ऐसा घटित हुआ, जिसके कारण उसे अपीलार्थी की मदद करने के लिए पहचान के प्रश्न पर अपना साक्ष्य बदलना पड़ा। अपीलार्थी और उसके साथी की पहचान के प्रश्न पर प्रति परीक्षा में उसका बयान, उसके द्वारा पहले मुख्य परीक्षा में दिए गए बयान से बचने का स्पष्ट प्रयास है। इस प्रकार, यह देखा गया कि उसकी परिसाक्ष्य पर संदेह करने के लिए कोई भौतिक विरोधाभास नहीं था। यह भी देखा गया कि घोषित शत्रुतापूर्ण के साक्ष्य को अभिलेख से पूरी तरह मिटाया नहीं गया है और साक्ष्य का वह हिस्सा, जो अन्यथा स्वीकार्य है, पर कार्रवाई की जा सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सुस्थापित निर्णयों पर भरोसा किया गया- भगवान सिंह बनाम हरियाण राज्य, (1976) 2 एससीआर 921: एयर 1976 एससी 202; रबिन्दर कुमार देव बनाम उड़ीसा राज्य, (1976) 4 एससीसी 233: एआईआर 1977 एससी 170 और सैयद अकबर बनाम कर्नाटक राज्य, (1980) 1 एससीआर 95: एआईआर 1979 एससी 1848 - जहां यह माना गया कि अभियोजन पक्षकार के साक्षी के साक्ष्य को केवल इसलिए पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि अभियोजन पक्षकार ने उसे पक्षद्रोही माना और उससे प्रति परीक्षा की। ऐसे साक्षी के साक्ष्य को अभिलेख से पूरी तरह मिटा हुआ या धुल गया नहीं माना जा सकता, लेकिन उन्हें इस हद तक स्वीकार किया जा सकता है कि उनके बयान की सावधानीपूर्वक जांच करने पर वे विश्वसनीय पाए जाएं।*

*19. मूलतः, 2009 (XI) एडी एससी 125 अलगरसामी व अन्य बनाम राज्य में पुलिस उपाधीक्षक द्वारा भी इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया गया था। उस मामले में भी, साक्षी को प्रति परीक्षा के अंतिम चरण में पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया था। साक्षी की मुख्य परीक्षा 02.04.01 को दर्ज की गई थी और उसी*

*दिन तीन बचाव पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा उससे प्रति परीक्षा की गई थी। तत्पश्चात ही बाद में, 26.06.01 को, जब उसे वापस बुलाया गया, तो उसे पक्षद्रोही साक्षी माना गया। माननीय उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि प्रति परीक्षा के बाद साक्षी को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया गया और इस टिप्पणी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुमोदित किया और यह पाया कि कानून में यह स्थापित नहीं है कि केवल इसलिए कि साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है, उसके पूरे साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता। सैयद अकबर बनाम कर्नाटक राज्य, 1980 (1) एससीसी 30, रवींद्र कुमार डे बनाम उड़ीसा राज्य, 1976 (4) एससीसी 233 और भगवान सिंह बनाम हरियाणा राज्य, 1976 (1) एससीसी 389 का संदर्भ दिया गया।*

5. अभि.सा.-11 (डॉ. सुरेश कुमार बंसल) ने एमएलसी प्र. अभि.सा.-6/ख (पीड़ित मदन लाल का) साबित किया और चोटों की प्रकृति को धारदार हथियार से होने वाली साधारण चोट बताया। अभि.सा.-10 (डॉ. पी.के. सुनेजा) ने एमएलसी प्र. अभि.सा.-6/क के माध्यम से मान सिंह की जांच की और धारदार हथियार (प्र. अभि.सा.-10/क) से होने वाली चोटों की प्रकृति को 'गंभीर' बताया। इन दोनों साक्षीगण से अवसर दिए जाने के बावजूद प्रति परीक्षा नहीं की गई। अभियुक्त ने घटनास्थल पर अपनी मौजूदगी से इनकार नहीं किया। घायल चश्मदीदों के बयानों पर संदेह करने के लिए कोई वैध कारण नहीं हैं, जिन्हें कानून में विशेष दर्जा दिया गया है। यह तथ्य कि उन्हें घटना में चोटें आईं, घटनास्थल पर उनकी मौजूदगी को स्थापित करता है। उनसे वास्तविक अपराधियों को बरी होने देने और अपीलार्थी को झूठा फंसाने की उम्मीद नहीं की जाती, जिसके साथ शत्रुतापूर्ण संबंधों का कोई पिछला इतिहास नहीं था। अभियोजन पक्षकार बिना किसी संदेह के यह साबित करने में सफल रहा कि दीपक ही मदन लाल और मान सिंह दोनों को चोट पहुंचाने का जिम्मेदार था और उसने शिकायतकर्ता से 800/- रुपए छीने थे। मदन लाल के कर्मचारी मान सिंह पर हमला नहीं किया गया। मदन लाल को बचाने के लिए हस्तक्षेप करने पर उसे चोटें आईं। उसके पास से नकदी या अन्य सामान लूटने का कोई प्रयास

नहीं किया गया। अपीलार्थी के मन में उसे खत्म करने की कोई रंजिश या दुश्मनी नहीं थी। चोटें महत्वपूर्ण अंग पर नहीं बल्कि गाल पर लगी थीं और उन्हें 'गंभीर' प्रकृति का माना गया। यह दिखाने के लिए अभिलेख में कुछ भी नहीं है कि मान सिंह कितने समय तक अस्पताल में भर्ती रहा। महत्वपूर्ण अंगों पर हथियार से कोई बार-बार वार नहीं किया गया। घटना के तुरंत बाद जब मान सिंह को अस्पताल ले जाया गया तो वह होश में था और उसे किसी ऑपरेशन आदि के लिए भर्ती नहीं किया गया। इस प्रकार अभियोजन पक्षकार यह साबित नहीं कर पाया कि अपीलार्थी के पास मौत का कारण बनने का इरादा और ज्ञान था। भा.दं.सं. की धारा 307 के तहत दोषसिद्धि के लिए भा.दं.सं. की धारा 326 के तहत अपराध को वैकल्पिक करने की आवश्यकता होती है।

6. मुझे अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए इस तर्क में कोई बल नहीं मिलता कि चाकू की बरामदगी न होने की स्थिति में भा.दं.सं. की धारा 397 की सहायता से दोषसिद्धि स्वीकार्य नहीं है। यह सच है कि जांच के दौरान अपराध का हथियार बरामद नहीं किया जा सका। घटना के तुरंत बाद, अपीलार्थी मौके से भाग गया और उसे लंबे समय तक पकड़ा नहीं जा सका और उसे उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया गया। इस प्रकार, अभियोजन पक्षकार उसकी निशानदेही पर अपराध का हथियार बरामद नहीं कर सका। दोनों पीड़ितों ने स्पष्ट रूप से बताया कि अपराधी ने घायल करने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया था। अभि.सा.-4 (मान सिंह) को दीपक द्वारा शिकायतकर्ता को लूटने के लिए इस्तेमाल किए गए 'चाकू' से 'गंभीर' चोटें आईं। इस संबंध में अभि.सा.-10 (डॉ.पी.के.सुनेजा) की परिसाक्ष्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि स्थानीय जांच में, रोगी के बाएं गाल पर 3 सेमी लंबाई का घाव था और यह मुंह तक फैला हुआ था। अभियुक्त ने घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार के आकार और आयाम का पता लगाने के लिए विशेषज्ञ से प्रति परीक्षा नहीं की। इससे यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि इस्तेमाल किया गया हथियार 'घातक' प्रकृति का नहीं था।

7. अपीलार्थी के अभिलेख में दर्ज नामावली से पता चलता है कि वह तीन साल चौदह दिन हिरासत में रहा और 24.07.2001 को उसे तीन महीने पच्चीस दिन की छूट मिली और 23.01.2002 के आदेश से उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। नामावली से यह भी पता चलता है कि वह भा.दं.सं. की धारा 307/147/148 और आयुध अधिनियम 27 के तहत एक अन्य प्राथमिकीसं. 187/91 में शामिल था, जिसका परिणाम स्पष्ट नहीं है। घटना वर्ष 1997 की है और अपीलार्थी ने लगभग सोलह वर्षों तक वाद/अपील की यातनाएं झेली हैं। इन तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सजा के आदेश को संशोधित किया जाता है और दीपक को भा.दं.सं. की धारा 394 की सहपठित धारा 397 के तहत 2,000/- जुर्माना सहित सात साल के कठोर कारावास और जुर्माना अदा न करने पर एक महीने के सादा कारावास की सजा सुनाई जाती है; भा.दं.सं. की धारा 326 के तहत 2,000/- जुर्माना सहित पांच साल के कठोर कारावास और जुर्माना अदा न करने पर एक महीने के सादा कारावास की सजा सुनाई जाती है। दोनों सजाएं एक साथ होगी। इस मामले में अपीलार्थी द्वारा हिरासत में बिताई गई अवधि को भा.दं.सं. की धारा 428 के तहत माना जाएगा तथा कम किया जाएगा। अपीलार्थी को शेष बची सजा काटने के लिए 10 दिसंबर, 2013 को विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा।

8. अपील उपरोक्त शर्तों के अनुसार निपटाई जाती है। लंबित आवेदन (यदि कोई हो) भी निपटाया जाता है। आदेश की प्रति के साथ विचारण न्यायालय का अभिलेख तुरंत वापस भेजा जाए।

**न्या.**

**(एस.पी.गर्ग)**

**3 दिसंबर, 2013**/*टी.आर.*

***(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)***

***अस्वीकरण :*** *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*